

2024/46


राजस्थान सरकार
FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय तहसीलदार बालेसर, जिला-जोधपुर (ग्रामीण)


सरकार जरीये पटवारी

बनाम लिखमाणराम उर्फ लच्छाराम पुत्र सिमरधाराम
जाति - कुम्हार, सा. बिराई

किस्म मुकदमा 91 नं. 09/24 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही में इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2024	<p>पटवारी हल्का <u>बिराई</u> रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम <u>मोटलपी का बास</u> तहसील बालेसर के खसरा नं. <u>725/247</u> रकबा <u>0.06 है</u> किस्म मैस-मुमकिन <u>बरानी-IV</u> भूमि पर <u>लिखमाणराम उर्फ लच्छाराम पुत्र सिमरधाराम</u> जाति <u>कुम्हार</u> निवासी <u>बिराई</u> तहसील बालेसर ने अनाधिकृत रूप से <u>0.06 है तपवन्दी</u> कर अतिक्रमण किया है पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी हो कर पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>19/07/2024</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>2024</u> तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर</p>	
19.07.2024	<p>पत्रावली पैठा हुई। अपार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकालतनामा पैठा कर, जवाब टैतू समय चारा गया। वकालतनामा शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली आईन्दा जवाब टैतू दिनांक- 06.08.2024 को पैठा हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>2024</u> तहसीलदार बालेसर जिला - जोधपुर</p>	<p style="text-align: center;"> <u>2024</u> लिखमाणराम पुत्र सिमरधाराम</p>

06.08.2024 पत्रावली पेश हुई/अप्राची आदिवाला/-याचहित में
अप्राचीगण को उपस्थित होने हेतु अंतिम अपसर
दिया जाता है। पत्रावली दिनांक :- 14.08.2024 को
वास्ते अप्राचीगण के उपस्थित होने हेतु पेश है।


तहसीलदार बालेश्वर
जिला - जोधपुर

14.08.2024 पत्रावली पेश हुई/गौर सायल उपस्थित। गौर सायल
द्वारा जवाब प्राचीना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि
उन्हे स्वयं के सर से सेख्या सेख्या नर5/247 से
तारबन्दी आफि हटाकर उन्हे स्वसरे को अतिश्रमण
मुक्त कर दिया है। गौर सायल द्वारा उन्हे पुष्पण को
ड्रेफ करने का अनुरोध किया गया है। हमने पत्रावली
का अपलोडन किया हल्ला पटवारी द्वारा वापशस्त
आरानी में गौर सायल द्वारा अतिश्रमण का प्रकरण
प्रस्तुत किया गया था। गौर सायल द्वारा स्वयं के सर
से अतिश्रमण हटाने का जवाब प्रस्तुत किया गया है।
वापशस्त आरानी अतिश्रमण मुक्त हो गई है। उन्हे
पत्रावली में कोई अपवादी विचारधीन नहीं होने से
गौर सायल द्वारा प्रस्तुत प्राचीना-पत्र किया जाकर
पत्रावली समेट से कम होकर दारिजत वपसर है।


तहसीलदार बालेश्वर
जिला - जोधपुर